<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>अपील डिक्री टीए संख्या 2992/2003/सिरोही</u>

1– कपूराराम पुत्र सोमा
2– देवाराम पुत्र सोमा
3– कमला पत्नी गणेशाराम
जाति रावल निवासी रोहीडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
4– कमला पत्नी चेला जाति रावल पुत्री गणेशाराम निवासी ठगो का देलदर तहसील आबू रोड़ जिला सिरोही।
5– सुशीला पत्नी गोपजी जाति रावल पुत्री गणेशाराम जाति रावल निवासी वासा तहसील पिण्डवाड़ा जिला सिरोही।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1– मोहनलाल पुत्र भीखालाल(फौत)
2– भागवती पत्नी गणपतलाल
3– छगनलाल पुत्र नरसिंह
4– रूकमणी विधवा गणेशराम
5– जसुमती पत्नी वाडीलाल दवे निवासी अहमदाबाद
6– कुसुम पत्नी किशोर कुमार जाति रोडवाल ब्राह्मण निवासी रोहीडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
7– नीरूबेन पत्नी बालकृष्ण उपाध्याय निवासी रोहीडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
8– मीनाबेन पत्नी भरत कुमार जाति दवे निवासी अहमदाबाद।
9– भानु पुत्र दुर्गाशंकर जाति त्रिवेदी निवासी रोहीडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

–रेस्पोडेन्ट्स

<u>खण्डपीठ</u>
श्री आर0 डी0 मीणा, सदस्य
कमला अलारिया, सदस्य

<u>उपस्थितः–</u>
1. ब्रिफ होल्डर अभिषेक शर्मा व यज्ञदत्त शर्मा, अभिभाषकगण अपीलांट्स
2. श्री माधवराज सिंह, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

<u>–निर्णय–</u>

दिनांकः–13–06–2025

1– अपीलांट्स ने यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के आदेश दिनांक 27–05–2003 जिसके द्वारा अपीलांट्स की अपील को खारिज किया गया है, के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2- संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम रोहीडा तहसील पिण्डवाडा में अरठनामे भोमटा के आराजी खसरा नम्बर 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2502, 2503 व 2504 कुल किता 20 कुल क्षेत्रफल 25 बीघा 4 बिस्वा भूमि के बाबत् रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, आबूपर्वत के समक्ष वादपत्र अन्तर्गत धारा 180(1) बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 04-05-1982 को वादीगण का वादपत्र स्वीकार करते हुए प्रतिवादी/अपीलांट्स को आराजी जैर से बेदखल किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 22-06-1983 को अपीलांट्स की अपील को स्वीकार किये जाने पर रेस्पोडेन्ट्स द्वारा माननीय मण्डल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। माननीय मण्डल द्वारा आदेश दिनांक 28-09-1988 के माध्यम से रेस्पोडेन्ट्स की अपील को स्वीकार करते हुए प्रकरण भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सिरोही को कतिपय निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया। माननीय मण्डल के उक्त आदेश के अनुसरण में भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 04-09-1996 को पुनः निर्णय पारित किया गया। जिसके विरूद्ध माननीय मण्डल में अपील पेश किये जाने पर मण्डल द्वारा निर्णय दिनांक 16-06-2001 को अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण पुनः राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली को प्रकरण रिमाण्ड करते हुए विधि के आज्ञापक प्रावधान आदेश 41 नियम 31 की पालना करते हुए तनकीवार निर्णय पारित करने के आदेश प्रदान किये गये। राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा मण्डल के आदेश के अनुसरण में विधिक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत जाकर आक्षेपित आदेश पारित करते हुए अपीलांट्स की अपील खारिज की गई। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

3- अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई व रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4- विद्वान अभिभाषक अपीलांटस् ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 ता 4/वादी भीखी बेवा भीखालाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, आबूपर्वत के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत करते

हुए वादग्रस्त आराजी ग्राम रोहीडा तहसील पिण्डवाडा में अरठनामे भोमटा के आराजी खसरा नम्बर 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2502, 2503 व 2504 कुल किता 20 कुल क्षेत्रफल 25 बीघा 4 बिस्वा भूमि से प्रतिवादीगण को आराजी जैर से बेदखल किये जाने की मांग की गई। जबकि अपीलांट्स/प्रतिवादी संवत् 2009 से वादग्रस्त आराजी जैर पर बतौर सिकमी काश्तकार है। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से अपीलांट्स स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। वादीगण द्वारा कभी भी प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी को काश्त के लिए लीज पर नहीं दी गई थी। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के विपरीत जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वादपत्र स्वीकार करते हुए प्रतिवादी/अपीलांट्स को अतिक्रमी मानते हुए बेदखल किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। जिसकी पुष्टि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत जाकर की गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स का आगे कथन किया गया कि उक्त वादग्रस्त आराजी जैर के बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र बाबत् बेदखली पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04-05-1982 को वादपत्र को डिक्री किये जाने पर अपीलांट्स/प्रतिवादी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकरी, जोधपुर के समक्ष अपील पेश किये जाने पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 22-06-1983 को प्रतिवादी की अपील को स्वीकार किया गया, जिसके विरूद्ध वादी द्वारा माननीय मण्डल के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई। माननीय मण्डल द्वारा निर्णय दिनांक 28-09-88 को वादीगण की अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए प्रकरण भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सिरोही को कतिपय निर्देशों के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया। माननीय मण्डल के उक्त आदेश की पालना में भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सिरोही द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 04-09-1996 के माध्यम से अपील को स्वीकार किया गया, के विरूद्ध पुनः माननीय मण्डल के समक्ष अपील पेश की गई। तत्पश्चात् माननीय मण्डल द्वारा दिनांक 16-06-2001 को अपील स्वीकार करते हुए राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया कि विधिक प्रावधानो के अनुसरण में आदेश 41 नियम 31 के तहत आवश्यक तनकीयात् कायम करते हुए निर्णय पारित करें। उपरोक्त तथ्यों एवं विधि में स्थापित आज्ञापक प्रावधानों को नजरअंदाज करते राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 27-05-2003 पारित करने में विधि एवं कानून संबंधी त्रुटि कारित की गई। जिसकी विधि अनुमति प्रदान नहीं करती है।

5- उन्होनें आगे कथन किया कि प्रकरण की वस्तुस्थिति यह है कि अपीलीय न्यायालय ने धारा 180 (1) बी में दिये गये प्रावधानों को नजरअंदाज करते हए निर्णय पारित किया है। विद्वान सहायक कलेक्टर आबूपर्वत ने अपने निर्णय दिनांक 04-05-1982 में विवाद्यक संख्या 1 को तय करते समय धारा 180 (1) बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दिये गये प्रावधानों को गलत रूप से उद्धत किया है जबकि साफ तौर पर यह लिखा है कि यदि कोई खुदकाश्त का आसामी आवेदन प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित आधारों पर किसी भी आधार पर बेदखल किया जायेगा। इसके सबक्लॉज-बी में यह अंकित किया गया है कि यदि वह वर्ष प्रतिवर्ष भूमिधारण करने वाला आसामी है सिकमी आसामी है। जिसके परन्तुक में यह लिखा है कि कोई भी खातेदार या उपकृषक आबू शहर में यदि स्थित भूमि का खातेदार या उपकृषक है तो उसे इस धारा के तहत बेदखल नहीं किया जा सकेगा। इस प्रकार यह सिद्ध था कि उनका वाद पूर्णतया मियाद बाहर है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा आगे कथन किया गया कि तनकी संख्या 2 का निर्णय पारित करते समय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा यह अभिलिखित किया गया है कि प्रतिवादी वाद में यह सिद्ध करने में असमर्थ रहे कि प्रश्नगत भूमि पर उनका कब्जा विधि अनुरूप है। यहां यह अभिलिखित करना आवश्यक होगा कि उक्त प्रकार से जो तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर डाला वह पूर्णतया गलत है जोकि धारा 101 साक्ष्य अधिनियम के तहत पूर्णतया विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि पूर्व में भी इन्हीं आराजी बाबत् पूर्व में एक वाद वास्ते बेदखली प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 03-08-1967 को खारिज किया गया। जिसकी प्रति प्रदर्श-5 पर उपलब्ध है तथा जिससे यह पूर्णरूप से सिद्ध था कि बेदखली हेतु पूर्व में किया गया वाद निर्णित हो चुका है। इस प्रकार धारा 11 सीपीसी के तहत प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं था। वादीगण द्वारा रावल सोमा को कभी भी भूमि एक वर्ष के लिए काश्त करने हेतु नहीं दी और ना ही वर्ष दर वर्ष काश्त करने हेतु कोई लीज हुआ तो लीज का टर्मीनेट किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। उक्त भूमि पर प्रारम्भ से ही प्रतिवादी/अपीलांटस का कब्जा रहा है तथा प्रतिवादी उसका हासल देता रहा है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निर्णय व डिक्री पारित किये गये है। लिहाजा अपीलांट्स/प्रतिवादी की अपील को स्वीकार करते हुए राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली का आक्षेपित आदेश दिनांक 27-05-2003 व अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, आबूपर्वत द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 04-05-1982 अपास्त किये जावे।

6- विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त आराजी वर्ष 1945 में भू-प्रबंध आयुक्त द्वारा पानड़ी एक एवं

दो जारी की गई। विवादित कृषि भूमि सर्वप्रथम भगा नाई को हासल पर देने के पश्चात् सोमा को काश्त पर दी गई। वादग्रस्त भूमि पर सोमा वर्ष 2009 से शिकमी काश्तकार था तथा शिकमी काश्तकार होने के आधार पर तहसीलदार द्वारा धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी का नामान्तरकरण दर्ज किया गया। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध माननीय मण्डल के समक्ष याचिका पेश किये जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण निरस्त किया गया कि संवत् 2012 से काश्तकार है उसे ही खातेदारी अधिकार हासिल हो सकते है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत खातेदारी देने हेतु जमाबंदी संवत् 2012 में अंकित नहीं है। संवत् 2031 मे गणेश एवं अन्य का विवादित कृषि भूमि के खातेदारों के नाम अंकित थे तत्पश्चात् अपीलांट् द्वारा राजस्व अभिलेख में गलत एवं अनाधिकृत रूप से अपीलांट्स सोमा के नाम इन्द्राज करवाया गया। भू-प्रबंध विभाग को राजस्व अभिलेख में पूर्व के इन्द्राजात् को दोहराने की शक्तियां प्राप्त है, पूर्ववर्ती इन्द्राज को परिवर्तित करने के अधिकारिता भू-प्रबंध विभाग में निहित नहीं है। इस प्रकार अपीलांट्स वादग्रस्त भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 04-05-1982 को वादीगण का वादपत्र स्वीकार करते हुए प्रतिवादी/अपीलांट्स को आराजी जैर से बेदखल किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। इसी अनुरूप प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पुष्टि विधि सम्मत तरीके से की गई है। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड व विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप आदेश पारित किये गये है। जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट् की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

7- विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य मे अध्ययन किया गया।

8- प्रकरण में वादग्रस्त आराजी ग्राम रोहीडा तहसील पिण्डवाडा में अरठनामे भोमटा के आराजी खसरा नम्बर 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2502, 2503 व 2504 कुल किता 20 कुल क्षेत्रफल 25 बीघा 4 बिस्वा भूमि के बाबत् रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, आबूपर्वत के समक्ष वादपत्र अन्तर्गत धारा 180 (1) बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 को बेदखल करने एवं संवत् 2023 से हासल दिलवाये जाने की मांग की गई। प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1

के वादोत्तर प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त नियमानुसार 8 विवाद्यक विरचित करते हुए निर्णय व डिक्री दिनांक 04-05-1982 पारित करते हुए वादपत्र को स्वीकार किया गया। तदुपरान्त आक्षेपित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध क्रमशः प्रथम अपीलीय न्यायालय एवं मण्डल के समक्ष अपील पेश किये जाने पर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 16-06-2001 को इस निर्देश के साथ प्रकरण अपीलीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया कि यदि अपीलीय न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से सहमत नहीं है तो विवाद्यकवार विस्तृत विवेचना करते हुए पुनः निर्णय पारित करें। अपीलीय न्यायालय द्वारा मण्डल के आदेशों के अनुसरण में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04-05-1982 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील पर विवाद्यकवार आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित किये जाने से व्यथित होकर उक्त द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत प्रकरण में वादी/रेस्पोडेन्ट् द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 180 (1) के तहत वादपत्र प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादी को बेदखल करने एवं संवत् 2023 से हासल दिलाया जाने की मांग की गई। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित आते हुए सर्वप्रथम मियाद के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत करते हुए वादपत्र मियाद बाधित होने के आधार पर खारिज करने की मांग की गई। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त बिन्दु पर विवाद्यक संख्या 1 विरचित किया गया कि ''आया वाद अन्दर मियाद है'' उपरोक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त तनकी वादी के पक्ष में निर्धारित की गई है। इस संबंध में हमने विधिक प्रावधान यथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची का अवलोकन किया गया। जिसमें अधिनियम की प्रत्येक धारा के संबंध में परिसीमा की कालावधि को निर्धारित किया गया। धारा 180 (1) के तहत प्रस्तुत वादपत्र को परिसीमा से मुक्त रखा गया है तथा इसी अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हासल प्राप्त करने के प्रावधान धारा 150 में निहित करते हुए परिसीमा अवधि 3 वर्ष निर्धारित की गई है। उक्त अवधि की गणना लगान देय से 3 वर्ष निर्धारित है। प्रकरण में चूंकि वाद पेश करने की तिथि दिनांक 13-10-1976 से पूर्व के तीन वर्ष का लगान वसूल किये जाने हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 के माध्यम से वादपत्र को अन्दर मियाद शुमार करने में किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि कारित किया जाना परिलक्षित नहीं होता है।

9- प्रकरण में वादी द्वारा आराजी जैर के बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 180 (1) बी के प्रावधानों के तहत वादपत्र प्रस्तुत करते हुए प्रतिवादीगण की आराजी जैर से बेदखली का अनुतोष चाहा

गया है। इस संबंध में हमने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 180 (1) बी, का अवलोकन किया। जिसमें अभिलिखित किया गया है कि ''खुदकाश्त अभिधारी या गैर-खातेदारा अभिधारी अथवा उप-अभिधारियों की बेदखली के लिए अतिरिक्त उपबंध- (1) कोई खुदकाश्त अभिधारी या गैर-खातेदारी-अभिधारी अथवा उप-अभिधारी, आवेदन किये जाने पर बेदखल किया जा सकेगा। (बी) वह वर्षानुवर्ष आधार पर जोत धारण करने वाला अभिधारी या उप-अभिधारी है। इस प्रकार उपरोक्त विधिक प्रावधानों में वर्ष-प्रतिवर्ष भूमि धारण करने वाले व्यक्ति को बेदखल करने के प्रावधान विधायिका द्वारा निहित किये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त वादपत्र की उपरोक्त धारा के अनुसरण में तनकी संख्या 2 कायम की गई। ''आया वादीगण का कब्जा विवादित भूमि पर कभी रहा है तो किस वर्ष से किस वर्ष तक'' इसी प्रकार तनकी संख्या 3 कायम की गई कि ''आया विवादित भूमि वादी द्वारा प्रतिवादीगण के काश्त करने हेतु दी गई थी, अगर दी गई तो किस अर्से के लिए एवं किन शर्तों पर'' उपरोक्त दोनों तनकीयात् को साबित करने का भार वादी पर था। वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकारों के संबंध मे राजस्व रिकार्ड प्रदर्श पी-1 व प्रदर्श पी-2 एवं खसरा गिरदावरियों के अवलोकन से यह तथ्य जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि दुर्गाशंकर वल्द नारायण, गणेशराम वल्द फत्ता अर्थात् वादीगण के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 2 गोमी के पति दुर्गाशंकर के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड भूमि रही है तथा रावल सोमा वल्द हक्माजी का नाम कॉलम संख्या 6 में बतौर उपकृषक दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार आराजी जैर के बाबत् आगामी खसरा गिरदावरियों में उपरोक्त इन्द्राज को दोहराया जाना प्रकट होता है। उपरोक्त इन्द्राजात् की पुष्टि हक्मामाल राज्य सिरोही द्वारा जारी रद्दोबदल की पानड़ी जोकि सेटलमेंट कमिश्नर द्वारा दिनांक 16-04-1947 अर्थात् संवत् 2002 से भी होती है जिसमें आसामी का नाम दुर्गाशंकर वल्दियत नारायण, गणेशराम वल्दियत फत्ताजी अंकित करते हुए सकूनत देह माफीदार अंकित करते हुए लगान निर्धारित किया गया। इस प्रकार उपरोक्त इन्द्राजात् से यह जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के अधिकार सिद्ध होते है। आराजी जैर पर जहां तक प्रतिवादीगण के कब्जेकाश्त का प्रश्न है? उक्त तथ्य को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा आराजी जैर पर अपना कब्जा वैध होने के संबंध में न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई राजस्व रिकार्ड पेश नहीं किया गया है जिससे यह जाहिर हो सके कि वादग्रस्त भूमि पर वह वैध एवं कानूनी रूप से काबिज काश्त रहे है। जहां तक तनकी संख्या 3 का प्रश्न है? जिसके माध्यम से आराजी जैर प्रतिवादीगण को काश्त पर दिये जाने के प्रश्न का निर्धारण किया जाना है। इस संबंध में प्रतिवादी सोमा स्वयं का कथन है कि वादग्रस्त भूमि की अरठ गोमी द्वारा दी गई थी वादी गणेश द्वारा नहीं। प्रतिवादी के उक्त कथन से जाहिर है कि प्रतिवादी को उक्त भूमि बतौर अरठ/हासल पर प्रदान की गई थी। उपरोक्त तनकी संख्या

2 व 3 को निर्धारित करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध होने पर कि वादी वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकारों को साबित कर पाये है एवं प्रश्नगत भूमि प्रतिवादी द्वारा अरठ/हासल पर गोमी द्वारा प्रदान की गई है, उपरोक्त तनकीयां वादीगण के हक में निर्धारित की गई है।

10- प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा कायम की गई तनकी संख्या 4 यथा ''आया प्रतिवादीगण द्वारा 19 (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार विवादित भूमि के खातेदार बन गये है, जिससे वाद चलने काबिल नहीं है''? उपरोक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने के संबंध में यह आवश्यक है कि दावा करने वाला व्यक्ति राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने अर्थात् संवत् 2012 से पूर्व जमाबंदी में उपकृषक या खातेदार के रूप में अंकित होना चाहिए था। प्रतिवादीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में राजस्व रिकार्ड यथा संवत् 2012 या उससे पूर्व का राजस्व अभिलेख न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है वरन् जमाबंदी में पेंसिल से अंकित नोट के आधार पर खातेदार बताया गया है कि लेकिन उक्त अंकन किस अधिकार व सक्षम आदेश से किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है। यहां यह अभिलिखित किया जाना भी समीचीन होगा कि भू-प्रबंध विभाग को पूर्व के इन्द्राजात् को दोहराने की शक्तियां प्राप्त है। पूर्ववर्ती राजस्व रिकार्ड के अंकन को परिवर्तित करने की शक्तियां भू-प्रबंध विभाग में निहित नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त तनकी विधिक प्रावधानों एवं राजस्व अभिलेख के अनुसरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की गई है। प्रकरण में जहां तक विचारण न्यायालय द्वारा कायम की गई तनकी संख्या 5 जोकि पूर्व न्याय (Res judicata) के प्रश्न पर निर्धारित है, इस संबंध में उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् पूर्व में प्रस्तुत वाद जोकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के तहत प्रस्तुत किया गया था। उक्त वादपत्र गुणावगुण पर निर्णित नही करते हुए अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किये जाने से धारा 11 पूर्व न्याय (Res judicata) के सिद्धान्त प्रस्तुत प्रकरण पर लागू नहीं होने के आधार पर उपरोक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्धारित की गई।

11- इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के बाबत् वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा, जवाबदावा, राजस्व रिकार्ड, मौखिक साक्ष्यों के आधार पर विवाद्यक विरचित करते हुए आराजी जैर पर वादीगण के अधिकार साबित होने के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा विधि सम्मत् तरीके से वादपत्र को डिक्री किया गया है एवं जिसकी पुष्टि अपीलीय न्यायालय द्वारा भी दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुरूप की गई

है। द्वितीय अपील के स्तर पर न्यायालय के समक्ष कोई नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये है जिसके आधार पर अपीलांट्स को किसी प्रकार की कोई राहत प्रदान की जा सके। लिहाजा अपीलांट्स की हस्तगत् द्वितीय अपील अस्वीकार कर खारिज योग्य पाई जाती है।

अतः आदेश है कि- अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27-05-2003 यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(आर0 डी0 मीणा)
सदस्य